छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 3116 / 03 / परीक्षा / 2020 रायपुर, दिनांक 3 NOV 2020

" व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2020 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना"

छ.ग. लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2020 की लिखित परीक्षा दिनांक 10 नवम्बर, 2020 को जिला– बिलासपुर, दुर्ग एवं रायपुर के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा हेतु आयोग द्वारा प्रवेश पत्र दिनांक 01.11.2020 को जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट www.psc.cg.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा किसी भी अभ्यर्थी को पृथक से प्रवेश पत्र व्यक्तिशः नहीं भेजा जाएगा।

2/ उक्त परीक्षा में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं या ऐसे अभ्यर्थी जिनके दोनों हाथ नहीं है, या जो अपने दाएं–बाएं दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर सकते, उन्हें मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण पत्र/सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा सह लेखक की सुविधा दी जायेगी। **सह लेखक की शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि विज्ञापित पद की शैक्षणिक अर्हता स्नातकोत्तर निर्धारित है तो सह–लेखक की शैक्षणिक अर्हता (अन्य विषय में) स्नातक से अधिक नहीं होनी चाहिए।** सहायक लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रवेश पत्र की छायाप्रति, सहायक लेखक की दो पासपार्ट साईज फोटो, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र तथा सह लेखक के रूप में कार्य करने के संबंध में उसकी सहमति के साथ **प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् संबंधित जिले के कलेक्टर कार्यालय से अनिवार्यतः संपर्क करें।**

3/ अभ्यर्थी व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2020 में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर और स्मार्ट वॉच लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

4/ परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

3/11/2020

सचिव
छ.ग. लोक सेवा आयोग,
रायपुर